न्यायालय सहायक कलक्टर, बाप, जिला जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादी

नैनाराम पुत्र रामकिशन
जाति विश्नोई निवासी जाम्बा
तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बंशीलाल पुत्र रामकिशन
2. हजारीराम पुत्र रामकिशन
3. बीरूराम पुत्र खानूराम
4. मनोहरराम पुत्र मेहराजराम
   जाति विश्नोई निवासी जाम्बा
   तहसील बाप जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार, बाप

दावा अंतर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व मूल वाद संख्या :– 96/2016

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी की ओर से
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 अनुपस्थित
3. सरकारी पैरोकार स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक :– 03.12.2020

वादीगण ने एक वाद पेश कर रखा है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की सामलाती खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि खसरा नम्बर 652/1 रकबा 42–01 बीघा, प्रतिवादी सं. 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 652 रकबा 35–01 बीघा, प्रतिवादी सं. 4 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 652/2 रकबा 42–01 बीघा ग्राम श्रीरामनगर पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप में स्थित है। खसरा नम्बर 652/1 रकबा 42–01 बीघा भूमि में वादी का 280/841 वां हिस्सा बंट में आता है। इसी अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 उक्त वादग्रस्त खसरान की भूमि पर मौके पर काबिज चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण्ग सं. 1 ता 4 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का आपसी सहमति का बंटवाड़ा सम्वत 2050 की आखातीज को निम्न प्रकार लिया था :–

1– वादी के बंट में खसरा नम्बर 652/1 रकबा 42–01 बीघा भूमि में से 280/841 वां हिस्सा अर्थात रकबा 14 बीघा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रखी गई।

2– प्रतिवादी सं. 1 के बंट में खसरा नम्बर 652/1 रकबा 42–01 बीघा भूमि में से 280/841 वां हिस्सा अर्थात रकबा 14 बीघा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रखी गई।

3– प्रतिवादी सं. 2 के बंट में खसरा नम्बर 652/1 रकबा 42–01 बीघा भूमि में से 281/841 वां हिस्सा अर्थात रकबा 14–01 बीघा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रखी गई।

Scanned by CamScanner

4– प्रतिवादी के बंट में खसरा नम्बर 652 रकबा 35–01 बीघा भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रखी गई।

5– प्रतिवादी के बंट में खसरा नम्बर 652/2 रकबा 42–01 बीघा भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रखी गई।

नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ संलग्न पेश है जिसे वाद पत्र का अभिन्न अंग व हिस्सा माना एवं समझा जावेगा। उपरोक्त बंटवाड़ा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादी ने संलग्न नकरी नक्शा में दर्शाई गई भूमि पर अपनी पक्की रहवासीय ढाणी, पानी का टांका व पालतु मवेशियों के लिए बाड़ा इत्यादित बनाये हुए है तथा उकत रहवासी ढाणी में वादी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करता आ रहा है। इसी अनुसार ही वादी हर वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है तथा वादी ने अपने बंट एवं हिस्सा की भूमि के चारों ओर पत्थर के खूंटे रोपकर तारबंदी कर भूमि को घेरा हुआ है। उपरोक्त वादग्रस्त खसरान की भूमि का वादी एवं प्रतिवदीगण सं. 1 ता 4 के मध्य हुवे आपसी सहमति बंटवाड़ा अनुसार भूमि राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम से अलग अलग खाते कायम कर दर्ज कर दी गई, लेकिन उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड नक्श ट्रेस में सामलाती ही दर्ज चली आ रही है। इसलिए वादी उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 652/1 रकबा 42–01 बीघा भूमि में अपने एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के हिस्से अनुसार एवं प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के हिस्से का बंटवाड़ा वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क अनुसार करवाकर इसी अनुसार ही राजस्व नक्शा में ट्रेस में तरमीम करवा का बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। अगर अदालत हाजा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा को मान्यता नहीं दी जाती है तो उस स्थिति में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 652/1 रकबा 42–01 बीघा भूमि एवं प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के हिस्से की भूमि का बाई मिंट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है, जिसका यह दावा पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर ग्राम श्रीमरानगर पटवार क्षेत्र जाम्बा के खसरा नम्बर 652/1 रकबा 42–01 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के हिस्से अनुसार तथा प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वादी को कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वकील वादी ने वादग्रस्त भूमि के मूल खसरा नंबर 652 के सभी पक्षकारों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वकील वादी द्वारा केवल खसरा नंबर 652, 652/1, 652/2 के पक्षकारों का ही विभाजन किये जाने की मांग अपने वाद में की है लेकिन इसी खसरे के बट्टा नंबर 652/3, 652/6, 652/7 के पक्षकरों की भूमि के विभाजन की मांग अपने वाद में नहीं की है। वकील वादी ने अपने वाद

Scanned by CamScanner

को प्रस्तुत करने में न्यायालय से तथ्य छुपाये है वकील वादी स्वछ हाथों से वाद लेकर न्यायालय में पेश नहीं हुए है। मूल खसरा नंबर 652 के सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर वादग्रसत भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित है लिहाजा इस स्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार हो, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीरसिंह)
सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2020.01.20 13:05:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: